(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 103 **नई दिल्ली,** **21** जून, 2008

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा पारादीप पत्तन न्यास के दरों के मान में अध्याय-III पोत-संबद्ध प्रभार में बर्थ किराया अनुसूची के अंतर्गत खंड 3.1 से 3.3 के नीचे टिप्पणी (12) और टिप्पणी (13) के रूप में दो शर्तें शामिल करता है ।

(ब्रहम दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं० टीएएमपी/60/2005-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) -------
आवेदक

आदेश

(अप्रैल, 2008 के 22वें दिन पारित किया गया)

मामला सं० टीएएमपी/60/2005-पीपीटी में दिनांक 12 अक्तूबर,2007 के आदेश द्वारा इस प्राधिकरण ने दरों के मान (एसओआर) के सामान्य संशोधन के लिए पीपीटी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था । पीपीटी के दरों के मान के साथ यह आदेश भारत के असाधारण राजपत्र में 31 अक्तूबर,2007 को अधिसूचित किया गया था और संशोधित दरें अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के बाद लागू हो गई थीं ।

2. पीपीटी के संशोधन-पूर्व दरों के मान की शर्तों और निबंधनों के खंड 2.7 (I) के अनुसार कार्गो कार्य पूरा होने के दो घंटे के भीतर पोत सभी प्रकार से समुद्र में प्रस्थान हेतु तैयार होने चाहिए और जिसमें असफल रहने पर प्रति घंटा या उसके भाग के लिए 105 अमरीकी डॉलर (तटीय पोतों के लिए 2742/-रुपए) की दर पर

दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार वसूल किए जाएंगे। खंड 2.7 (ii) के अनुसार वहीं, पत्तन इन दरों पर दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार भी वसूल करता है, यदि पोत प्रचालनात्मक कारणों से बर्थ खाली किए जाने हेतु उन्हें दिए गए चार घंटे के नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद दो घंटे से अधिक समय तक बर्थ में लगातार रूके रहते हैं ।

3.1. संशोधित दरों के मान में उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित खंड 2.7 (i) और 2.7 (ii) हटा दिए गए थे और उनके बदले में बर्थ किराया प्रभारों के खंड 3.1 से 3.3 के नीचे टिप्पणी (4) के रूप में निम्नलिखित शर्तें शामिल की गई थीं :-

(i) पोत के समुद्री यात्रा हेतु तैयार होने के इसके संकेत के समय के 4 घंटे बाद बर्थ किराया लगना बंद हो जाएगा । बर्थ किराया लगना बंद होने के लिए निर्धारित समय-सीमा में अनुकूल ज्वारीय स्थितियों के न होने अथवा प्रतिकूल मौसम होने अथवा रात्रि नौवहन सुविधाएं न होने के कारण पोत का प्रतीक्षा समय शामिल नहीं होगा ।

(ii) गलत संकेत दिए जाने पर एक दिन के बर्थ किराया प्रभार के बराबर दंडात्मक बर्थ किराया वसूल किया जाएगा।

(iii) पोत के मास्टर/एजेंट अनुकूल मौसम स्थितियों और ज्वारीय हलचलों के अनुसार ही पोत की समुद्री यात्रा की तैयारी का संकेत देंगे ।

3.2. बर्थ किराया प्रभारों के अंतर्गत दरों के मान में उपर्युक्त टिप्पणी को शामिल किया जाना 31 मार्च,2005 को अधिसूचित प्रशुल्क के विनियमन हेतु संशोधित दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार था ।

4. पीपीटी ने इस प्राधिकरण को संबोधित अपने दिनांक 19 मार्च,2008 के पत्र सं० टीडी/टीएम/एमएआर-01/ 2001/1175 में दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों की वसूली के लिए पूर्ववर्ती प्रावधानों को पुनः शामिल करने का अनुरोध किया था । पत्तन के अनुरोध की जांच की गई थी । उपर्युक्त पैरा सं० 3.1 में उल्लिखित दरों के मान में शामिल शर्तों से यह पूर्वधारणा बनती है कि कोई भी पोत कार्गो प्रचालन पूरा होने के बाद बर्थ में रूके बिना अपनी समुद्री यात्रा की तैयारी का संकेत देगा । लेकिन, पूर्व-संशोधित दरों के मान में दंडात्मक प्रभारों की वसूली संबंधी सहायक खंड शामिल थे, यदि पोत अपने कार्गो प्रचालन पूरा होने के बाद समुद्री यात्रा के लिए तैयार नहीं होता है । चेन्नई पत्तन न्यास, विशाखापट्टणम पत्तन न्यास, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुरूगांव पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर पत्तन न्यास और तूतीकोरन पत्तन न्यास के दरों के मान में बर्थ में अतिरिक्त समय के लिए रूकने वाले पोतों से दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार वसूल करने हेतु प्रावधान शामिल हैं ।

5. चूंकि, पुनः शामिल की जाने वाली प्रस्तावित शर्तें पिछले सामान्य दर संशोधन के समय इस प्राधिकरण द्वारा हटा दिए जाने तक पीपीटी के दरों के मान में मौजूद थीं और परामर्श प्रक्रिया का पालन करते समय किसी भी प्रयोक्ता निकाय ने पोतों के बर्थों में अतिरिक्त समय तक रूकने पर वसूल किए जाने वाले दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों की वसूली पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की थी, इसलिए दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों की वसूली को पुनः शामिल करने के लिए परामर्श प्रक्रिया का नए सिरे से पालन करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

6. इसलिए, यह प्राधिकरण अध्याय-III, पोत-संबद्ध प्रभार में बर्थ किराया अनुसूची के अंतर्गत खंड 3.1 से 3.3 के नीचे टिप्पणी (12) और टिप्पणी (13) के रूप में निम्नलिखित शर्तों को शामिल करते हुए पारादीप पत्तन न्यास के दरों के मान में दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों को पुनः शामिल करने का अनुमोदन प्रदान करता है :-

''(12). पोत कार्गो कार्य पूरा होने के दो घंटे के भीतर समुद्री यात्रा के लिए सभी प्रकार से तैयार होने चाहिए। पोत के समुद्री यात्रा हेतु तैयार होने के समय के संबंध में सूचना कम से कम एक घंटा पहले वीएचएफ पर और '1जी' ध्वज लहरा कर पत्तन संकेत

केन्द्र को सूचित की जानी चाहिए । कार्गो कार्य के पूरा होने के दो घंटे बाद भी समुद्री यात्रा के लिए तैयार न रहने वाले पोत बर्थ किराया अनुसूचियों में निर्धारित दरों के अतिरिक्त प्रति घंटा या उसके भाग के लिए 105 अमरीकी डॉलर (तटीय पोतों के लिए 2582/-रुपए) की दर पर दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं । दंडात्मक बर्थ किराया वसूल करने के लिए अवधि का परिकलन कार्गो कार्य के पूरा होने से दो घंटे का समय समाप्त होने से लेकर पोत के समुद्री यात्रा हेतु तैयार होने के समय तक के लिए किया जाएगा ।

(13). 105 अमरीकी डॉलर (तटीय पोतों के लिए 2582/-रुपए) की दर पर दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार उन पोतों पर लागू होंगे, जो पोत प्रचालनात्मक कारणों से बर्थ खाली किए जाने हेतु पारादीप पत्तन न्यास अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई 4 घंटे की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद दो घंटे से अधिक के लिए बर्थ में लगातार रूके रहते हैं ।''

7. तटीय पोत दर पिछले दरों के सामान्य संशोधन के समय विचारित 1 अमरीकी डॉलर = 40.98 रुपए की विनिमय दर के अनुसार समायोजित की गई है ।

8. चूंकि, यह केवल एक प्रावधान का पुनर्स्थापन है, जोकि दरों के पिछले सामान्य संशोधन तक विद्यमान था, इसलिए यह प्राधिकरण दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों की वसूली पूर्व-प्रभाव (अर्थात 30 नवम्बर,2007 से, जोकि पिछले संशोधन के प्रभावी होने की तारीख है) से करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है ।

(ब्रहम दत्त)
अध्यक्ष